पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन : **L65910DL1986GOI024862**
ऊर्जानिधि, **1,** बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली **- 110001,** भारत
टेलीफोन नंबर **:+91 11 23456000,** फैक्स **:+91 11 23412545,**
ई-मेल आईडी **: investorsgrievance@pfcindia.com**
वेबसाइट **: www.pfcindia.com**

<u>नोटिस</u>

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्य को संपन्न करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 27 अगस्त 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डेन, नई दिल्ली - 110004 में होगी :

<u>साधारण कार्य</u>

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित अंकेक्षित वित्तीय विवरणों, उस पर निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना एवं स्वीकार करना।

2. श्री नवीन भूषण गुप्ता (डीआईएन : 00530741), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण पुन: नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

3. सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

<u>विशेष कार्य</u>

4. श्री रवींद्र सिंह ढिल्लों (डीआईएन : 00278074) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बगैर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना :

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली की धारा 149, 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुपालन में, श्री रवीन्द्र सिंह ढिल्लों (डीआईएन : 00278074), जिनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के पत्र संख्या 24-8/1/2018-पीएफसी (एमओपी) दिनांक 12 जून 2019 के माध्यम से निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया और इसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 के अनुसरण में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए 12 जून 2019 से निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया

गया, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों पर कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में होंगे और इसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।"

5. श्री आर सी मिश्रा (डीआईएन : 02469982) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बगैर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152, उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुपालन में श्री आर सी मिश्रा (डीआईएन : 02469982), जिनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के पत्र संख्या 20/6/2017-समन्वय दिनांक 11 जुलाई 2019 के माध्यम से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 के अनुसरण में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए 11 जुलाई 2019 से निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में होंगे और इसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

6. भारत में और/या भारत के बाहर निजी नियोजन के आधार पर बॉण्डों / डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से 70000 करोड़ रुपए तक निधियां जुटाना और इस संबंध में विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बगैर पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि यथासंशोधित कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका एवं आवंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में, इस वार्षिक आम बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान भारत में और/या भारत के बाहर 70,000 करोड़ रुपए तक के प्रतिभूत / अप्रतिभूत, स्थायी / मोचनीय, अपरिवर्तनीय, संचयी / असंचयी, कराधेय / कर मुक्त, वरिष्ठ / गौण बॉण्डों / अवसंरचना बॉण्डों / शून्य कूपन बॉण्डों / इनफ्लेशन इनडेक्स बॉण्डों / डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए अनुमोदन होगा और इसके द्वारा प्रदान किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति सहित) वर्तमान एजीएम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान भारत में और/या भारत के बाहर 70,000 करोड़ रुपए तक के प्रतिभूत / अप्रतिभूत, स्थायी / मोचनीय, अपरिवर्तनीय, संचयी / असंचयी, कराधेय / कर मुक्त, वरिष्ठ / गौण बॉण्डों / अवसंरचना बॉण्डों / शून्य कूपन बॉण्डों / इनफ्लेशन इनडेक्स बॉण्डों / डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों (बॉण्डों) के निजी नियोजन को सब्सक्राइब करने के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण देने के लिए और बॉण्डों के निर्गम के संबंध में ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत होगा और इसके द्वारा अधिकृत है जो आवश्यक समझा जा सकता है जिसमें बॉण्डों का अंकित मूल्य,

निर्गम मूल्य, टाइमिंग, राशि, प्रतिभूति, कूपन / ब्याज दर, लब्धि, सूचीयन, आवंटन तथा बॉण्डों के निर्गम की अन्य शर्तें एवं निबंधन शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।"

“यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति सहित) उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत होगा और इसके द्वारा अधिकृत है जो आवश्यक समझा जा सकता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
‘**ऊर्जानिधि**’ 1, **बाराखंबा लेन**,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110001
सीआईएन: **L65910DL1986GOI024862**
तारीख :

टिप्पणियां :

1. वार्षिक आम बैठक (बैठक) में शामिल होने और वोट करने के लिए हकदार सदस्य अपने स्थान पर शामिल होने और वोट करने के लिए परोक्षी (प्रॉक्सी) की नियुक्ति करने का हकदार है तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी कंपनी का सदस्य हो। तथापि, प्रॉक्सी की नियुक्ति करने वाला विधिवत रूप से पूरा किया गया, मुहर लगा हुआ और हस्ताक्षरित लिखत कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से कम से कम **48** घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए। खाली प्रॉक्सी फार्म संलग्न है तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

2. कोई व्यक्ति अधिकतम 50 सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में काम कर सकता है तथा सकल रूप में शेयर धारण मताधिकार वाली कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी के मताधिकार वाली कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरों का धारक सदस्य एकल व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम नहीं करेगा।

3. कॉर्पोरेट सदस्यों से बैठक में अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प / पावर ऑफ अटार्नी की विधिवत रूप से प्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है।

4. बैठक में या उसमें लाए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए हकदार प्रत्येक सदस्य बैठक आरंभ होने के लिए निर्धारित समय शुरू होने तथा बैठक के निष्कर्ष के साथ समाप्त होने से 24 घंटे पहले की अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय के घंटों के दौरान किसी भी समय दर्ज किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा परंतु यह कि इस तरह का निरीक्षण करने की मंशा के बारे में कंपनी को लिखित रूप में कम से कम तीन दिन का नोटिस दिया गया हो।

5. सेबी की सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 44 (6) के अनुपालन में आपकी कंपनी पूर्वाह्न 11 बजे से एजीएम की कार्यवाही के लाइव वेब कास्ट की सुविधा प्रदान कर रही है। जो सदस्य एजीएम में भाग लेने के हकदार हैं वे अपने सुरक्षित लॉगइन क्रिडेंशियल का प्रयोग करके कार्वी की ई-वोटिंग वेबसाइट अर्थात https://evoting.karvy.com पर लॉगइन करके एजीएम की कार्यवाही देख सकते हैं। सदस्यों को लाइव वेबकास्ट की इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

6. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी इस बैठक में चर्चा की जाने वाली मदों के संबंध में कंपनी के सभी शेयरधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने एजीएम के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग को सुगम बनाने के लिए कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) (तत्कालीन कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड) की सेवाएं ली है। भेजी गई / ईमेल से अग्रेषित की गई हाजिरी पर्ची के अधोभाग में प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का उल्लेख किया गया है। दूरस्थ ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा अनुदेश यहां नीचे दिए गए हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपना वोट डालने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।

   इसके अतिरिक्त बैठक में इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम / बैलट या पोलिंग पेपर के माध्यम से भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट पहले नहीं डाला है, बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग करने में समर्थ होंगे।

   कंपनी ने बैठक में निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम / बैलट या पोलिंग पेपर वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में काम करने के लिए श्री सचिन अग्रवाल, अभ्यासी कंपनी सचिव (एफसीएस नंबर 5774, सीपी नंबर 5910) को नियुक्त किया है।

<u>दूरस्थ ई-वोटिंग की कार्यविधि एवं अनुदेश</u>

I. इंटरनेट ब्राउजर लांच करें और https://evoting.karvy.com खोलें।

II. हाजिरी पर्ची / ईमेल के अधोभाग में शुरुआती पासवर्ड निम्नानुसार प्रदान किया जाता है।

(क) कार्वी से ईमेल प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में [ऐसे सदस्यों पर लागू है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपाजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के यहां पंजीकृत है] :

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर)	प्रयोक्ता आईडी	पासवर्ड
4811	डीमेट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए : इवेंट नंबर और उसके बाद : एनएसडीएल के लिए : 8 करेक्टर की डीपी आईडी और उसके बाद 8 डिजिट की ग्राहक आईडी सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की लाभार्थी आईडी भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए : इवेंट नंबर और उसके बाद कंपनी के यहां पंजीकृत फोलियो नंबर	आपका यूनिक पासवर्ड भेजी गई हाजिरी पर्ची / अग्रेषित किए गए ईमेल पर मुद्रित है।

(i) लॉगइन क्रिडेंशियल (अर्थात प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। तथापि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए कार्वी के यहां पहले से पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

(ii) उपर्युक्त ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "लॉगइन" पर क्लिक करें।

(iii) पासवर्ड चेंज मेन्यू दिखेगा। अपनी पसंद के नए पासवर्ड से पासवर्ड को बदलें। नए पासवर्ड में न्यूनतम 8 करेक्टर होंगे जिसमें कम से कम एक करेक्टर अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक न्यूमेरिक (0-9) और एक स्पेशल करेक्टर (@,#,$, आदि) के रूप में होंगे। सिस्टम पहले आपको लॉगइन पर अपना संपर्क ब्यौरा जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि अपडेट करने के लिए भी कहेगा। अपना पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में उसे पुन: प्राप्त करने के लिए आप अपनी पसंद का कोई गुप्त प्रश्न एवं उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें तथा अपने पासवर्ड को गुप्त रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें। आपको नए क्रिडेंशियल के साथ पुन: लॉगइन करने की आवश्यकता होती है।

(iv) सफल लॉगइन पर सिस्टम आपको 'पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के ई-वोटिंग इवेंट को चुनने के लिए प्रेरित करेगा।

वोटिंग पेज पर, "पक्ष / विपक्ष" के अंतर्गत कट ऑफ तारीख अर्थात 21 अगस्त 2019 तक की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या प्रविष्ट करें (जो वोट की संख्या दर्शाती है) या वैकल्पिक तौर पर आप "पक्ष" आंशिक रूप से और "विपक्ष" में आंशिक रूप से कोई संख्या डाल सकते हैं परंतु "पक्ष / विपक्ष" में प्रविष्ट संख्याओं का जोड़ यहां ऊपर उल्लिखित आपकी कुल शेयर होल्डिंग से अधिक नहीं होगा। आप मतदान में भाग न लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि सदस्य द्वारा "पक्ष" अथवा "विपक्ष" का उल्लेख नहीं किया जाएगा, तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने मतदान में भाग न लेने का विकल्प चुना है तथा धारित किए गए शेयर किसी भी शीर्ष में नहीं गिने जाएंगे।

(vi) अनेक फोलियो / डिमेट खातों के धारक सदस्य प्रत्येक फोलियो / डिमेट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।

(vii) नोटिस की प्रत्येक मद के लिए वोटिंग अलग से करनी है। यदि आप किसी विशिष्ट मद पर अपना वोट नहीं डालना चाहते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप मतदान में भाग नहीं लेना चाहते हैं।

(viii) इसके बाद आप किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट डाल सकते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें।

(ix) एक कनफर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा संशोधित करने के लिए "कैंसल" पर क्लिक करें। संकल्प (संकल्पों) पर वोट डालने के बाद आप अपना वोट बदल नहीं सकेंगे। वोटिंग अवधि के दौरान सदस्य संकल्प (संकल्पों) पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगइन कर सकते हैं।

(x) कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्य (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) के लिए evoting@karvy.com को चिन्हित प्रति के साथ ईमेल आईडी : sachinag1981@gmail.com पर संवीक्षक को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई सत्यापित सही प्रति (पीडीएफ फार्मेट) भेजना भी आवश्यक है। उपयुक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई इमेज का नाम “कॉर्पोरेट का नाम_इवेंट नंबर” के फार्मेट में होना चाहिए।

(ख) एजीएम के नोटिस और हाजिरी पर्ची की भौतिक प्रति प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में [ऐसे सदस्यों पर लागू है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपोजीटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के यहां पंजीकृत नहीं या जो भौतिक प्रति के लिए अनुरोध कर रहे हैं] :

(i) लॉगइन क्रिडेंशियल प्रविष्ट करें (कृपया एजीएम की हाजिरी पर्ची में उल्लिखित प्रयोक्ता आईडी तथा आरंभिक पासवर्ड देखें)।

(ii) कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक (ii) से क्रमांक (x) तक के सभी चरणों का अनुसरण करें।

III. यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप कार्वी की ई-वोटिंग वेबसाइट https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' और 'ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल' देख सकते हैं अथवा कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नंबर 31-32, गचिबाउली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 के बी श्रीनिवास, प्रबंधक (यूनिट : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से या einward.ris@karvy.com और evoting@karvy.com या फोन नंबर 040 - 6716 2222 पर संपर्क कर सकते हैं या किसी अग्रेतर स्पष्टीकरण के लिए कार्वी के टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर कॉल कर सकते हैं।

IV. कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली 2015 यह प्रावधान करती है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग की अवधि एजीएम की तारीख से पूर्व तारीख को सायं 5 बजे समाप्त हो जाएगी। तद्नुसार, वोटिंग की अवधि 24 अगस्त 2019 को प्रात: 10 बजे आरंभ होगी और 26 अगस्त 2019 को सायं 5 बजे समाप्त होगी। कार्वी द्वारा उसी दिन सायं 5 बजे ई-वोटिंग माड्यूल डिसेबल किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, कट ऑफ तारीख अर्थात 21 अगस्त, 2019 को भौतिक रूप में या डीमेट रूप में कंपनी के शेयर धारण करने वाले सदस्य इलेक्ट्रानिक रूप में अपना वोट डाल सकते हैं।

V. जब सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट डाल दिया जाता है, तो उसे इसके बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

VI. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु उनको अपना वोट पुन: डालने का अधिकार नहीं होगा।

VII. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है वे स्थल पर अपना वोट डाल सकते हैं।

VIII. सदस्य वोटिंग के केवल एक माध्यम को चुन सकते हैं अर्थात वे दूरस्थ ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यमों से वोट डालता है, तो दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाला गया वोट मान्य होगा तथा एजीएम में डाले गए वोट को अमान्य समझा जाएगा।

IX. जिन सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद तथा कट ऑफ तारीख अर्थात 21 अगस्त, 2019 को या इससे पहले शेयर प्राप्त किया है वे निम्नानुसार इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं :

(क) यदि सदस्य का ईमेल या मोबाइल नंबर फोलियो नंबर / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी के विरुद्ध पंजीकृत है :

सदस्य 9212993399 पर एसएमएस भेज सकता है : MYEPWD <space> इवेंट नंबर+फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी

एनएसडीएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> IN12345612345678
सीडीएसएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> 1402345612345678
भौतिक के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> XXX1234567890

अथवा

सदस्य https://evoting.karvy.com के होम पेज पर जा सकते हैं और "फॉरगॉट पासवर्ड" पर क्लिक करें तथा पासवर्ड सृजित करने के लिए फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन प्रविष्ट करें।

(ख) सदस्य टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर कार्वी को कॉल कर सकते हैं

(ग) सदस्य einward.ris@karvy.com को ईमेल अनुरोध भेज सकते हैं। तथापि, कार्वी ऐसे नए सदस्यों को प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड भेजने का प्रयास करेगा जिनकी मेल आईडी उपलब्ध हैं।

X. कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद संकल्पों पर परिणामों की घोषणा की जाएगी तथा संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मतों की प्राप्ति के अधीन वार्षिक आम बैठक की तारीख को संकल्पों को पारित किया गया समझा जाएगा।

XI. संवीक्षक की रिपोर्ट (रिपोर्टों) के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) तथा कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर उपलब्ध होंगे तथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी संप्रेषित किए जाएंगे।

XII. आप फोलियो के प्रयोक्ता प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल अपडेट भी कर सकते हैं जिसका प्रयोग भावी पत्राचार करने के लिए किया जा सकता है।

7. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तारीख के अनुसार डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित सदस्य रजिस्टर या लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। मतदान के अधिकार कट ऑफ तारीख को सदस्य (सदस्यों) द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुसार होंगे। सदस्य वोट डालने के लिए पात्र तभी होंगे जब वे उस तारीख को शेयरों के धारक होंगे। कृपया नोट करें कि जो व्यक्ति कट ऑफ तारीख को कंपनी का सदस्य नहीं है उसे यह समझना चाहिए कि यह नोटिस केवल सूचना के लिए है।

8. बैठक में संपन्न किए जाने वाले विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में विवरण इसके साथ संलग्न किया है।

9. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) की अपेक्षा के अनुसार, श्री नवीन भूषण गुप्ता, निदेशक जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में नोटिस की मद संख्या 2 के अंतर्गत पुन: नियुक्ति के इच्छुक हैं, श्री रवीन्द्र सिंह ढिल्लों जो मद संख्या 4 के अंतर्गत नियुक्ति के इच्छुक हैं और श्री आर सी मिश्र जो मद संख्या 5 के अंतर्गत नियुक्ति के इच्छुक हैं, की संक्षिप्त प्रोफाइल इस नोटिस का अंग है।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि :

   i. नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में किसी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी।
   ii. बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर विधिवत रूप से भरी हुई और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची सौंपें क्योंकि ऑडिटोरियम में प्रवेश उपस्थिति पर्ची के बदले में स्थल पर काउंटर पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर अनुमत होगा।
   iii. सभी पत्राचार में अपने फोलियो / क्लाइंट आईडी एवं डीपी आईडी नंबर लिखें।
   iv. नोट करें कि सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान नहीं लाने हैं।
   v. नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में किसी उपहार / कूपन का वितरण नहीं होगा।
   vi. नोट करें कि बैठक में शामिल होने वाले संयुक्त धारकों के मामले में केवल ऐसे संयुक्त धारक को मतदान करने का अधिकार होगा जो नामों के क्रम में ऊपर होगा।

11. 22 अगस्त 2019 से 27 अगस्त 2019 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) तक कंपनी के सदस्य रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां बंद रहेंगी।

12. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के साथ पठित धारा 205ए के अनुपालन में, लाभांश राशि जो 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त / लावारिस पड़ी हुई है, को केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। निवेशकों (जिनके भुगतान देय हैं) के ब्यौरे एमसीए की वेबसाइट (फार्म 5 आईएनवी) तथा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ताकि निवेशक उनका दावा कर सकें।

13 भारत सरकार द्वारा घोषित "हरित पहल" के समर्थन में, हाजिरी पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म तथा वार्षिक रिपोर्ट के अलावा अन्य बातों के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं ढंग को दर्शाने वाले इस नोटिस की इलेक्ट्रानिक प्रतियां ईमेल से ऐसे सदस्यों को भेजी जा रही हैं जिनका ईमेल पता कंपनी / डिपाजिटरी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया गया है, यदि सदस्य ने विशेष रूप से इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध नहीं किया है। जिन सदस्यों का पंजीकृत ईमेल पता नहीं है उन्हें अनुमत विधि से नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजी जाएगी। इसके अलावा सरकार की इस हरित पहल का पूरी तरह समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता अभी तक पंजीकृत नहीं

कराया है उनसे अपने संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपाजिटरी के यहां इलेक्ट्रानिक होल्डिंग्स के संबंध में अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है। जो सदस्य भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं उनसे कार्वी अर्थात कंपनी के आरटीए के यहां अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है।

14. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि अपना इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) मैनडेट प्रस्तुत करें ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से धन भेज सके। जो सदस्य भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं वे कार्वी जो कंपनी का आरटीए है, से ईसीएस मैनडेट फार्म प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। जो सदस्य इलेक्ट्रानिक रूप में शेयरों के धारक हैं वे ईसीएस मैनडेट फार्म प्राप्त करके सीधे अपने डिपाजिटरी प्रतिभागी (डीपी) को भेज सकते हैं। जो सदस्य कंपनी / आरटीए / डीपी को पूर्ण ब्यौरे के साथ ईसीएस मैनडेट फार्म पहले प्रस्तुत कर चुके हैं उनको पुन: भेजने की आवश्यकता नहीं है।

15. जो सदस्य भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं तथा ईसीएस सुविधा नहीं लेना चाहते हैं वे कृपया कार्वी जो कंपनी का आरटीए है, को अपने बैंकर का नाम, शाखा का पता तथा खाता नंबर भेजें ताकि वे लाभांश वारंट पर इन ब्यौरों को प्रिंट कर सकें।

16. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इलेक्ट्रानिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपने डिपाजिटरी प्रतिभागियों को अपना पैन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है, जिनके साथ वे अपना डिमेट खाता रख रहे हैं। अंतरण के पंजीकरण के लिए तथा भौतिक रूप में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के अंतरण वाले प्रतिभूति बाजार लेनदेन तथा ऑफ मार्केट / प्राइवेट लेनदेन के लिए कंपनी / आरटीए को पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करना भी अंतरिती के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तद्नुसार, भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य कंपनी / कार्वी जो कंपनी का आरटीए है, को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं।

17. भौतिक रूप में अनेक फोलियो में शेयरों के धारक सदस्यों से समेकन के लिए संगत शेयर प्रमाण पत्रों के साथ कंपनी या कार्वी जो कंपनी का आरटीए है, के पास आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है।

18. सदस्यों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण, पारेषण, उप विभाजन, समेकन के पंजीकरण या किसी अन्य शेयर संबद्ध मामले और / या पता एवं बैंक खाते में परिवर्तन से संबंधित सभी पत्राचार कार्वी जो कंपनी का आरटीए है, को भेजें।

19. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुपालन में, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा नियुक्त या पुन: नियुक्त किए जाने होते हैं तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में या ऐसे ढंग से कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक तय किया जाना होता है जो आम बैठक में कंपनी निर्धारित कर सकती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के

अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। सदस्य निदेशक मंडल को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षकों का उपयुक्त पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, यदि बोर्ड द्वारा इसे उपयुक्त समझा जाए।

20. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 72 के अंतर्गत अनुमति के अनुसार, कंपनी ने अपनी शेयर धारिता के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि निर्धारित प्रपत्र में कार्वी जो कंपनी का आरटीए है, को पत्र लिखें। डिमेट रूप में शेयरों का धारक होने की स्थिति में नामांकन संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी के पास जमा करना होगा।

21. जो सदस्य भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं उनसे अपने पता में किसी परिवर्तन के मामले में कार्वी जो कंपनी का आरटीए है, को और इलेक्ट्रानिक रूप में धारित किए गए शेयर की स्थिति में अपने संबंधित डिपाजिटरी को तत्काल सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

22. जो सदस्य वित्तीय विवरणों तथा इस बैठक के किसी अन्य कार्य पर कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनसे अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के कंपनी सचिव को अपनी जिज्ञासाएं भेजें ताकि बैठक में अपेक्षित सूचना सुलभ कराई जा सके।

23. संलग्न नोटिस में उल्लिखित सभी संगत दस्तावेज तथा सांविधिक रजिस्टर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक से पूर्व शनिवार एवं रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

24. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर भी उपलब्ध है।

25. तालकटोरा इनडोर स्टेडियम का रूट मैप इसके साथ संलग्न है।

नोटिस में वर्णित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 **की धारा** 102 (1) **के अनुपालन में विवरण।**

मद संख्या 4

निम्नलिखित विवरण संलग्न नोटिस की मद संख्या 4 में उल्लिखित विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करता है :

श्री रवीन्द्र सिंह ढिल्लों को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 12 जून 2019 के पत्राचार संख्या 24-8/1/2018-पीएफसी (एमपीओपी) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी अधिवर्षिता तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया गया और इसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहने के लिए

दिनांक 12 जून 2019 से निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री रवीन्द्र सिंह ढिल्लों की नियुक्ति को विनियमित करने वाली शर्तें एवं नियम वही होंगे जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

अन्य बातों के साथ विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में अनुभव की प्रकृति दर्शाने वाला उनका संक्षिप्त रिज्यूम (Resume) प्रदान किया जा रहा है जो इस नोटिस का अंग है।

श्री रवीन्द्र सिंह ढिल्लों इस संकल्प से संबद्ध है और इसमें रूचि रखते है।

इसके अलावा, उक्त संकल्प के पारित होने में किसी निदेशक या प्रबंधन के किसी प्रमुख कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय रूप में या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है, केवल कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग की मात्रा से जुड़े हित एवं सरोकार को छोड़कर।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 4 पर दिए गए संकल्प की साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 5

निम्नलिखित विवरण संलग्न नोटिस की मद संख्या 5 में उल्लिखित विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करता है :

श्री आर सी मिश्रा को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई 2019 के पत्राचार संख्या 20/06/2017-समन्वय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इसके बाद नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहने के लिए दिनांक 11 जुलाई 2019 से निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री आर सी मिश्रा की नियुक्ति को विनियमित करने वाली शर्तें एवं नियम वही होंगे जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

अन्य बातों के साथ विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में अनुभव की प्रकृति दर्शाने वाला उनका संक्षिप्त रिज्यूम प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस नोटिस का भाग है।

श्री आर सी मिश्रा इस संकल्प से संबद्ध है और इसमें रूचि रखते है।

इसके अलावा, उक्त संकल्प के पारित होने में किसी निदेशक या प्रबंधन के किसी प्रमुख कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय रूप में या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है, केवल कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग की मात्रा से जुड़े हित एवं सरोकार को छोड़कर।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 5 पर दिए गए संकल्प की साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

निम्नलिखित विवरण संलग्न नोटिस की मद संख्या 6 में उल्लिखित विशेष कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करता है :

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कंपनी अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्था है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत सर्वांगी रूप से महत्वपूर्ण गैर-डिपाजिट ग्रहणकर्ता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण एवं विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करती है। निधियों की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए पीएफसी बांडों के निर्गम, बैंकों / वित्तीय संस्थाओं तथा ईसीबी आदि से सावधि ऋणों के माध्यम से निधियां जुटाता रहा है।

कंपनी के ऋणों के मुख्य संघटक सामान्यतया दीर्घ / अल्प अवधि के कराधेय बॉण्ड / कर मुक्त बॉण्ड / इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड / शून्य कूपन बॉण्ड / अधीनस्थ बॉण्ड / अन्य बॉण्ड के सार्वजनिक / निजी नियोजन, अधीनस्थ ऋण / लाइन ऑफ क्रेडिट, दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि एवं अल्प अवधि के ऋणों (वाणिज्यिक पेपर सहित) के रूप में ईसीबी के रूप में हैं। यथासंशोधित कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका एवं आबंटन) नियमावली 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के प्रावधान यह अधिदेश देते हैं कि कंपनी डिबेंचरों / बॉण्डों के निजी नियोजन के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करे।

उपर्युक्त लागू प्रावधानों के अनुसरण में, शेयरधारकों ने बॉण्डों / डिबेंचरों के निजी नियोजन के माध्यम से एजीएम की तारीख से एक साल की अवधि (अर्थात 11 सितंबर 2018 से 10 सितंबर 2019) के दौरान 65000 करोड़ रुपए की निधियां जुटाने के लिए दिनांक 11 सितंबर 2018 को आयोजित पिछले एजीएम में मंजूरी प्रदान की थी।

30 जुलाई 2019 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने, शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, वर्तमान एजीएम की तारीख से एक साल की अवधि के दौरान भारत में और / या भारत के बाहर बॉण्डों / डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के माध्यम से 70000 करोड़ रुपए की निधियां जुटाने के लिए मंजूरी प्रदान की है।

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों से यह अनुमोदन भी प्रदान करने की मांग की है कि बोर्ड (निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति सहित) को वर्तमान एजीएम की तारीख से एक साल की अवधि के दौरान भारत में और/या भारत के बाहर बॉण्डों / डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के माध्यम से 70000 करोड़ रुपए की निधियां जुटाने के लिए अधिकृत किया जाए।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने शेयरधारकों से यह अनुमोदन भी प्रदान करने की मांग की है कि बोर्ड (निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति सहित) को वर्तमान एजीएम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान भारत में और/या भारत के बाहर 70,000 करोड़ रुपए तक के प्रतिभूत / अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, कराधेय / कर मुक्त, वरिष्ठ / अधीनस्थ बांडों / डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों (बांडों) के निजी नियोजन को सब्सक्राइब करने के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण देने के लिए और बॉण्डों के निर्गम के संबंध में ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किसा जाए जो आवश्यक समझा जा सकता है जिसमें बॉण्डों का अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, टाइमिंग, राशि, प्रतिभूति, कूपन / ब्याज दर, लब्धि, सूचीयन, आबंटन तथा बॉण्डों के निर्गम की अन्य शर्तें एवं निबंधन शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

बोर्ड इस नोटिस के क्रमांक 6 पर दिए गए संकल्प की साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए पुन: सिफारिश करता है।

उक्त संकल्प के पारित होने में निदेशकों या प्रबंधन के किसी प्रमुख कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय रूप में या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है, केवल कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग की मात्रा से जुड़े हित एवं सरोकार को छोड़कर।

मद संख्या 2, 4 और 5 के अंतर्गत 33वीं एजीएम में नियुक्ति / पुन: नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का ब्यौरा

नाम	श्री आर एस ढिल्लों	श्री एन बी गुप्ता	श्री आर सी मिश्रा
जन्म तारीख एवं आयु	13.05.1963/56	11.06.1960/59	24.11.1952/66
अर्हता	बीई (इलेक्ट्रिकल) - थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला एमटेक (पावर सिस्टम) - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य	इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी और ल्यूब्ल्याना विश्वविद्यालय, स्लोवेनिया से एमबीए 1978 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस
नियुक्ति की तारीख	12 जून 2019	18 अगस्त, 2017	11 जुलाई, 2019
नियुक्ति की शर्तें एवं नियम	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया गया।	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
पारिश्रमिक	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	शून्य
प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आईआईटी दिल्ली से पावर सिस्टम में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में आप पीएफसी ज्वाइन करने से पूर्व भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में काम कर चुके हैं। पीएफसी में आप पिछले 25 वर्षों में विभिन्न क्षमता में काम कर चुके हैं, जैसे कि परियोजना मूल्यांकन, व्यवसाय विकास, तनावग्रस्त परिसंपत्ति उद्धार और परियोजनाओं की	आपके पास विद्युत क्षेत्र में 32 साल से अधिक का अनुभव है तथा आपने एनएचपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे संगठनों में विभिन्न पदों पर सेवाएं प्रदान की हैं। आपके पास निधि प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षा, लेखाओं को अंतिम रूप देना, ऋण नीति, संसाधन जुटाना	श्री आर सी मिश्रा ने 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ज्वाइन किया। लगभग 4 दशक के अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान आप विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों / संस्थाओं, मणिपुर सरकार तथा भारत सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं जिसमें अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार; कार्यपालक

	निगरानी आदि। निदेशक (परियोजनाएं) के पद पर नियुक्ति से पूर्व आप पीएफसी में कार्यपालक निदेशक के रूप में काम किया।	आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। आपने सितंबर 2005 में पीएफसी ज्वाइन किया तथा निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्ति से पूर्व आप पीएफसी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में काम किया।	निदेशक, भारतीय प्रसारण निगम (प्रसार भारती); संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार; वित्त सचिव, मणिपुर सरकार; विद्युत सचिव, मणिपुर सरकार आदि शामिल हैं। नवंबर 2012 में अधिवर्षिता से पूर्व आपका आखिरी कार्यभार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य भविष्य निधि आयुक्त एवं सीईओ के रूप में था। आईएएस से सेवानिवृत्ति के बाद आपने वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम किया।
वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या तथा ऐसी बोर्ड बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया	लागू नहीं	13/13	लागू नहीं
कंपनी के किसी अन्य निदेशक, प्रबंधक तथा अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य	शून्य	शून्य
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	27050	24584	शून्य

अन्य कंपनियों में निदेशक	• जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड • पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	• पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड • कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड • चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड • देवघर मेगा पावर लिमिटेड • बिहार मेगा पावर लिमिटेड • छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड • तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	शून्य
सभी सार्वजनिक कंपनियों में समितियों* के अध्यक्ष / सदस्य	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सदस्य, लेखा परीक्षा समिति, सदस्य, हितधारक संबंध एवं शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सदस्य, हितधारक संबंध एवं शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति	शून्य

* लेखा परीक्षा समिति तथा शेयरधारक शिकायत समिति को छोड़कर बोर्ड की समितियों में अध्यक्षता / सदस्यता शामिल नहीं है

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

पंजीकृत कार्यालय : **"ऊर्जानिधि", 1,** बाराखंबा लेन**,** कनाट प्लेस**,** नई दिल्ली - 110001

टेलीफोन नंबर : +91 11 23456000, फैक्स : +91 11 23412545,

ई-मेल आईडी :investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट : www.pfcindia.com

उपस्थिती पर्ची

कृपया बैठक हाल में प्रवेश के लिए यह पर्ची अपने साथ लाएं और इसे प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

मैं / हम इसके द्वारा तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, दिल्ली -110004 में मंगलवार, 27 अगस्त 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित की जा रही कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी / अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं / करते हैं।

क्रमांक :_______________

एकल / प्रथम नामित सदस्य का नाम एवं पंजीकृत पता :

संयुक्त सदस्य (सदस्यों), यदि कोई हो, का नाम :

पंजीकृत फोलियो नंबर / डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर :

धारित शेयरों की संख्या :

प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम :

सदस्य / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

....

धारक का नाम	**फोलियो / डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर**	**शेयरों की संख्या**

सदस्य कृपया ध्यान दें

सदस्य कृपया नोट करें कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसरण में ई-वोटिंग के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रानिक वोटिंग के विवरण नीचे दिए गए हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश वार्षिक आम बैठक के नोटिस में प्रस्तुत किए गए हैं।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग के विवरण

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर)	**प्रयोक्ता आईडी**	**पासवर्ड / पिन**

टिप्पणी **:** कृपया नोटिस में उल्लिखित ई-वोटिंग के अनुदेशों का अनुसरण करें।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

पंजीकृत कार्यालय : "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001

टेलीफोन नंबर : +91 11 23456000, फैक्स : +91 11 23412545, ईमेल आईडी :investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट : www.pfcindia.com

प्रॉक्सी फार्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सदस्य (सदस्यों) का नाम :______________________________

पंजीकृत पता :______________________________

____

ई-मेल :______________________________

कंपनी के .... शेयरों के धारक के रूप में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सदस्य होने के कारण मैं / हम इसके द्वारा :

1. नाम :____________________ईमेल आईडी :____________________

   पता :____________________हस्ताक्षर : या इनकी अनुपस्थिति में

2. नाम :____________________ईमेल आईडी :____________________

   पता :____________________हस्ताक्षर : या इनकी अनुपस्थिति में

3. नाम :____________________ईमेल आईडी :____________________

   पता :____________________हस्ताक्षर :

को मंगलवार, 27 अगस्त 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डेन, दिल्ली - 110004 में आयोजित की जा रही कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी / हमारी ओर से भाग लेने तथा मेरे / हमारे लिए मतदान करने के लिए और इसके किसी स्थगन पर निम्नलिखित कार्यों के लिए संकल्पों के संबंध में मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूं / करते हैं :

क्र. सं.	संकल्प	पक्ष	विपक्ष
साधारण कार्य			
1	31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों, उस पर निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करना एवं स्वीकार करना।		
2	श्री नवीन भूषण गुप्ता (डीआईएन : 00530741) जो रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया है, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना।		
3	सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।		
विशेष कार्य			
4	श्री रवीन्द्र सिंह ढिल्लों (डीआईएन : 00278074) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना		
5	श्री आर सी मिश्रा (डीआईएन : 02469982) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना।		
6	भारत में और/या भारत के बाहर निजी नियोजन के आधार पर बांडों / डिबेंचरों / नोट्स / ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से 70,000 करोड रुपए तक की निधियां जुटाना		

आज दिनांक .... 2019 को हस्ताक्षरित 2019

शेयरधारक के हस्ताक्षर प्रॉक्सी धारक (धारकों) के हस्ताक्षर

(उपयुक्त मूल्य का रसीदी टिकट लगाएं)

टिप्पणियां :

1 प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फार्म विधिवत रूप से भरा होना चाहिए, मुहर लगी होनी चाहिए और वार्षिक आम बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटा पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

2 आम बैठकों पर सचिवीय मानक **2** के खंड 6.4.1 के अनुसरण में प्रॉक्सी धारक बैठक में शामिल होने के समय अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
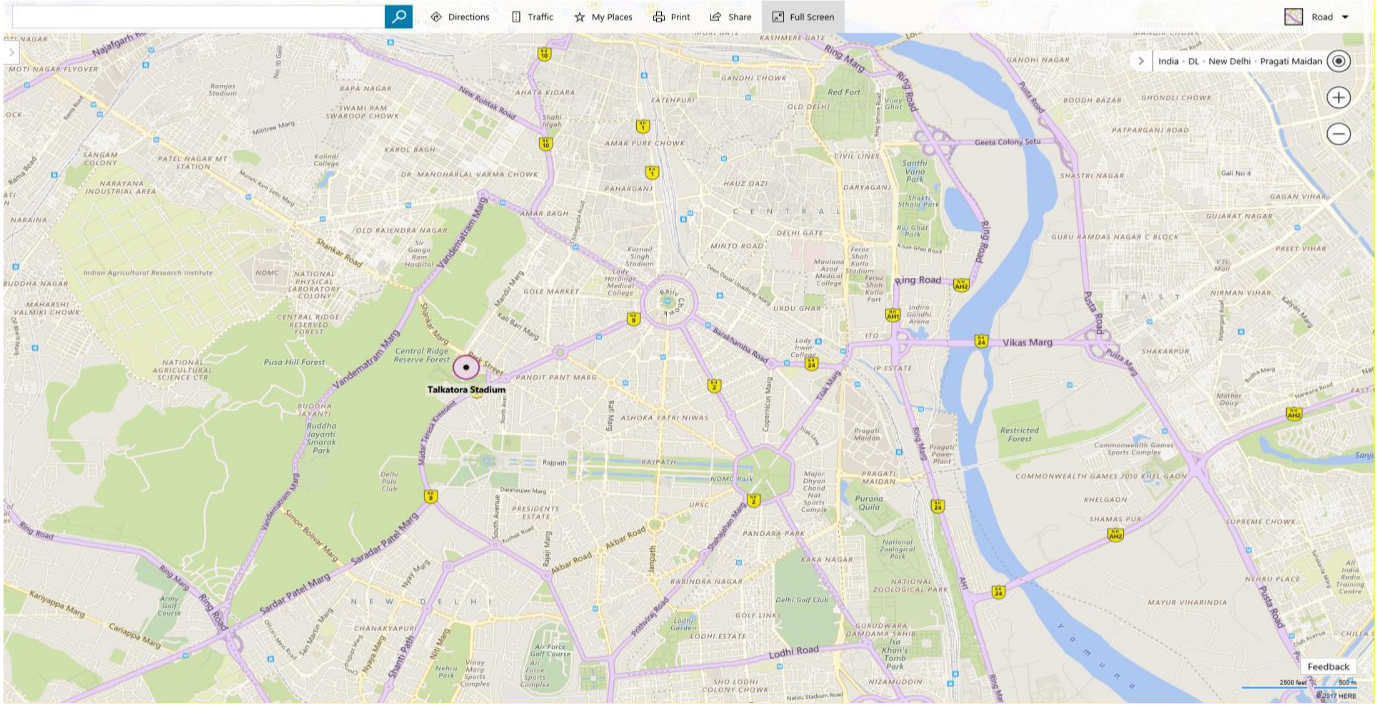
<u>तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली - 110004 का रूट मैप</u>